UNIVERSITY OF RAJASTHAN
JAIPUR

Minutes of the 19th Special meeting of the Syndicate held on Friday, 29th August, 2025 at 11:30 A.M.in the Syndicate Hall, Vice-Chancellor's Secretariat, Rajasthan University Campus, JLN Marg, Jaipur.

The following members were present in the meeting :

1.	Prof. Alpana Kateja Vice-Chancellor	Chairman
2.	Prof. Rajesh Kumar Nominee of the Vice-Chancellor (Under Section 21(1)(iii) of the University Act)	Member
3.	Prof. Ram Narayan Sharma Nominee of the Vice-Chancellor (Under Section 21(1)(iii) of the University Act)	Member
4.	Prof. G.P. Singh Nominee of the Vice-Chancellor (Under Section 21(1)(iv) of the University Act)	Member
5.	Prof. N.C. Gautam Nominee of the Hon'bleChancellor (Under Section 21(1)(v) of the University Act)	Member
6.	Prof. Lalaram Meena Nominee of the Govt. of Rajasthan (Under Section 21(1)(vi) of the University Act)	Member
7.	Prof. Rita Sharma Nominee of the Govt. of Rajasthan (Under Section 21(1)(vi) of the University Act)	Member
8.	Prof. Narayan Lal Gupta Nominee of the Govt. of Rajasthan (Under Section 21(1)(viii) of the University Act)	Member
9.	Shri Gopal Sharma, Hon'ble MLA Nominee of the Govt. of Rajasthan (Under Section 21(1)(x) of the University Act)	Member
10.	Shri Kuldeep Dhankhar, Hon'ble MLA Nominee of the Govt. of Rajasthan (Under Section 21(1)(x) of the University Act)	Member
	Rajkumar Kaswa Registrar, University of Rajasthan	Ex-officio Secretary

Note: Prof. Akhil Ranjan Garg and Commissioner College Education, Rajasthan, Jaipur could not attend the meeting.

MINUTES

<table>
<tr><th>Item No.</th><th colspan="2">Particulars</th><th>Under Proviso/ Remarks</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Welcome by the Chairman
At the outset the Vice-Chancellor welcomed all the members of the Syndicate.</td><td></td></tr>
<tr><td>19-1.0</td><td colspan="2">Items for consideration</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>19-1.1</td><td>Agenda :
To consider the recommendation of the meeting of the Academic Council held on 13.08.2025 (Copy enclosed).
Resolution
After Due consideration the Syndicate resolved to approve the recommendations of the Academic Council meeting held on 13.08.2025 with the following :-
1. The recommendation on the Academic Council Supplementary Agenda Item No. 03 alongwith the draft Ordinance 141 be referred to the Committee having already been constituted in this matter under the Convenership of Prof. N.L. Gupta for re-examination in the light of the discussion in the meeting of the Syndicate.
2. The Syndicate resolved to approve the Academic Council Agenda Item No. 13 & Supplementary Agenda Item No. 04 with the following remark :-
यदि किसी विषय में NET परीक्षा आयोजित नहीं होती है या NET परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी उपलब्ध न हो तो उस विषय में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाकर प्रवेश दिया जायेगा।
Action : All Sections</td><td></td></tr>
<tr><td>19-2.0</td><td colspan="3">AGENDA ITEM CONSIDERED WITH THE PERMISSION OF THE CHAIR :-</td></tr>
<tr><td></td><td>19-2.1</td><td>Agenda :
With the permission of Hon'ble Vice-Chancellor dated 28.08.2025 regarding approving the minutes of the meetings of BOI held on dated 10.06.2025, 20.06.2025, 10.07.2025 & 18.08.2025.</td><td></td></tr>
</table>

		Resolution The Syndicate considered the minutes of the meeting of the BOI held on 10.06.2025, 20.06.2025, 10.07.2025 & 18.08.2025 and resolved to approve the same. **Action : Academic-II Section**	
	19-2.2	दिनांक 09.07.2025 को आयोजित हुई सिण्डीकेट बैठक के निश्चय संख्या 18–1.11 के सम्बन्ध में प्रो. एन.सी. गौतम द्वारा प्रेषित ई–मेल दिनांक 31.07.2025 (संलग्न) के सम्बन्ध में ***Resolution*** सिण्डीकेट ने प्रो. एन.सी. गौतम द्वारा दिनांक 09.07.2025 को आयोजित हुई सिण्डीकेट बैठक के निश्चय संख्या 18–1.11 के सम्बन्ध में प्रेषित ई–मेल के तीनों बिन्दुओं के स्पष्टीकरण को स्वीकृत कर अनुमोदित किया।	
	19-2.3	माननीय विधायक एवं सिंडिकेट सदस्य श्री कुलदीप धनखड़ द्वारा चर्चा के दौरान विद्यार्थी हितों से जुड़े बिन्दु सदन के समक्ष रखे गए। इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा के पश्चात् निम्न निश्चय (Resolution) पारित किए गए। **1.** संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए मानव श्रम के E.S.I. व P.F. की राशि सम्बन्धित खातों में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में। ***Resolution*** संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाए गए मानव श्रम के E.S.I. व P.F. के प्रकरणों की जाँच बाबत् निम्न समिति का गठन किया जाता है – 1. प्रो. जी.पी. सिंह 2. प्रो. लालाराम मीणा 3. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार 4. उप–कुलसचिव (लेखा एवं वित्त) **Action : A&F Section** **2.** संवेदक के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक बढोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में। ***Resolution*** "संवेदक के माध्यम से उपलब्ध कराये गये श्रमिकों" के पारिश्रमिक बढोत्तरी के सम्बन्ध में राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया जावे। **Action : A&F & Estt.-II Section** **3.** महिला छात्रावासों में महिला गार्ड तैनात करने के सम्बन्ध में। ***Resolution***	

		महिला छात्रावासों में अतिरिक्त महिला गार्ड नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव का सदन द्वारा अनुमोदन किया गया। **Action : Chief Proctor** **4.** अतिथि शिक्षकों की समय पर उपलब्धता/स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में विचारार्थ। ***Resolution*** राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी होने के कारण अतिथि शिक्षक से अध्यापन कार्य करवाये जाने की स्वीकृति की प्रक्रिया सत्र प्रारम्भ होने के 15 दिवस में पूरी की जाए। **Action : Estt.-I Section** **5.** विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों की रुपरेखा की पूर्व में सक्षम स्तर से स्वीकृति बाबत् विचारार्थ। ***Resolution*** विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम यथा सांस्कृतिक/सेमिनार/कैम्प/वर्कशॉप /सम्मेलन आदि बाबत आयोजक द्वारा कार्यक्रम की रुपरेखा प्रस्तुत कर कुलगुरु से अनुमोदित करवाई जाए। आयोजक यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कार्यक्रम में देश विरोधी गतिविधियों से सम्बन्धित गतिविधि/चर्चा/भाषण/गीत आदि न हो। **Action : All Section/Departments/Colleges** **6.** विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के ही रहने की सुविधा मुहैया करवाने बाबत् विचारार्थ। ***Resolution*** विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को ही रहने की सुविधा उपलब्ध करवायी जानी सुनिश्चित करें। अनाधिकृत व्यक्ति को छात्रावास में रुकने नहीं दिया जाए। **Action : Chief Warden Boys/Girls**
	19-2.4	माननीय विधायक एवं सिंडिकेट सदस्य श्री गोपाल शर्मा द्वारा चर्चा के दौरान छात्रसंघ शुल्क को छात्र कल्याण शुल्क नाम दिये जाने का प्रस्ताव रखा। ***Resolution*** सदन ने छात्रसंघ शुल्क को छात्र कल्याण शुल्क का नाम दिये जाने का अनुमोदन किया। **Action : DSW**

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

(RAJKUMAR KASWA)
REGISTRAR

(PROF. ALPANA KATEJA)
VICE-CHANCELLOR